ताम... कम जो इस ... की तामील में जारी हुए।

# न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 04/2021 तारीख दायर :–11.08.2021 दिनांक निर्णय :–08.09.2021

1. सरकार जरिये पटवारी हल्का सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

**बनाम**

1. जयलाल पुत्र बिरदी मीना निवासी सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

अन्तर्गत धारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का सुरेर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे अप्रार्थी का अतिक्रमण सिद्ध होता है। जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जयलाल पुत्र बिरदी मीना एवं अप्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री प्रभूदयाल मीना द्वारा वकालतनाम पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया, जवाब हेतु समय दिनांक 24.08.2021 का दिया गया किन्तु अप्रार्थी द्वारा आज कोई जवाब पेश नहीं किया गया आज अप्रार्थी अनुपस्थित रहा अप्रार्थी की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतित होती है। चूँकी रिपोर्ट पटवारी हल्का सुरेर के अनुसार राजकीय भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2078 में बाड़ लगाकर एवं पक्का ड़ण्डा निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:– अतिक्रमी जयलाल पुत्र बिरदी मीना निवासी सुरेर निवासी सुरेर को आराजी ख0न0 1251 रकबा 40.75 हे0 किस्म गैर मु0 पहाड चारागाह में से 0.25 हे0 पर वाके ग्राम सुरेर से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 0.50 की 50 गुणा में मु0 25.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का बीघोता को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 08.09.2021 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 11 पर मि.न. ..., 25/-
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार